भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1035
उत्तर देने की तारीख-29/07/2024

विश्वविद्यालय निधि का दुरूपयोग

†1035. श्री कोडिकुन्नील सुरेश:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओसन स्टडीज (केयूएफओएस), केरल के कन्नूर विश्वविद्यालय तथा कालीकट विश्वविद्यालय के कुलपतियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में अपने मामलों तथा कानूनी मुकदमों पर बहस करने के लिए विश्वविद्यालय निधि से एक करोड़ रूपये से अधिक की राशि खर्च की जा रही है;
(ख) क्या सरकार ने इस मामले में केरल राज्य सरकार से जवाब मांगा है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (घ): राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा की जाती है और यह संबंधित राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। राज्य विश्वविद्यालय के शैक्षणिक और प्रशासनिक तथा वित्तीय मामले अधिनियम के प्रावधानों के तहत बनाए गए विनियमों/विनियमों द्वारा शासित होते हैं जिनके द्वारा इसे स्थापित किया गया है। राज्य विश्वविद्यालय के व्यय का प्रबंधन और निगरानी केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है।

*****